भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3144
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी यातायात और मेट्रो रेल का विस्तार

†**3144. श्री तेजस्वी वी सूर्याः**
श्री बसवराज बोम्मईः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बंगलुरु मेट्रो सहित चल रही मेट्रो रेल परियोजनाएं संशोधित समय-सीमा और लागत अनुमानों को पूरा करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कच्चे माल की बढ़ती लागतों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) 2025 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और वह तरीका क्या है जिससे सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और पैदल यात्री संबंधी अवसंरचना के एकीकरण को अधिदेशित किया जाएगा;
(ग) देशभर में सभी नई और मौजूदा मेट्रो और बस प्रणालियों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मानकों को अनिवार्य रूप से अंगीकृत किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विभिन्न मेट्रो रेल प्रणालियों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की विशेषताएं और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

क) मेट्रो परियोजनाओं को अत्याधुनिक डिजाइन और परियोजना निगरानी उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित किया जाता है, ताकि डिजाइन को अनुकूलित किया जा सके और परियोजना का कार्यान्वयन तेजी से हो सके। इसके अलावा, इन परियोजनाओं की निगरानी नियमित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा की जाती है। ये उपाय परियोजना को समय पर और कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होते हैं, साथ ही कच्चे माल की लागत में वृद्धि के प्रभाव को कुछ हद तक कम करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2025 के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) "एक राष्ट्र, एक कार्ड" की अवधारणा पर आधारित एक अंतरसंचालनीय कार्ड है, जो विभिन्न मेट्रो/आरआरटीएस और बस संचालकों के बीच निर्बाध रूप से कार्य करता है। मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित कयूएसपीएआरसी (रुपे चिप के भुगतान अनुप्रयोग के लिए त्वरित विनिर्देश) पर आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 11 मेट्रो परियोजनाओं और 11 बस परिवहन निगमों में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पीएम-ईबस सेवा दिशा-निर्देशों में राज्यों/शहरों में बस संचालन के लिए एनसीएमसी आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

******